

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :- सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 60 / 2026

1. रामसिंह } पि० मदनलाल जाति नायक निवासीयान श्योदानपुरा तहसील टिब्बी
2. प्रेमचन्द्र } जिला हनुमानगढ।
3. सुभाष }

वादीगण

बनाम्

1. मदनलाल पुत्र बीरबल जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. रामप्यारी पत्नी मदनलाल जाति नायक निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।


प्रतिवादीगण


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री महेश गौड व प्रतिवादी वकील जीतासिंह अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है:- क. वादीगण सं० 1 ता 3 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी- चकन० 1 ए बारानी के खाता सं० 132/122 में प्रतिवादीसं० 1 के नाम से दर्ज कुल 5.8190 है० अनकमाण्ड आराजी मे से 5.060 है० आराजी चक श्योदानपुरा बारानी के खाता सं० 32/35 के खसरा सं० 22 में अंकित कुल 5.3370 है० आराजी में प्रतिवादी सं० 1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा कृषि भूमि

ख. प्रतिवादीया सं० 2 रामप्यारी को प्राप्त आराजी:- चकन० 20 केएनएन के जमाबन्दी संवत 2075 ता 78 के खाता सं० 110/114 में कुल 1.3910 है० नहरी, अ०क० मय गै०मु० आराजी

चकन० 1 ए बारानी के खाता सं० 132/122 में प्रतिवादीसं० 1 के नाम से दर्ज कुल 5.8190 है० अनकमाण्ड आराजी मे से 0.7590 है० आराजी इसी अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है व चक न० चक 1 ए बारानी के खाता सं० 132/122, चकन० 20 केएनएन के खाता सं० 110/114, चक श्योदानपुरा बारानी के खाता सं० 32/35 मे से प्रतिवादी सं० 1 मदनलाल का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 4/5/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।




(सत्यनारायण आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।